Dr Kumari Manju
H.O.D. Eco

Labour welfare and Social Security in India:

Social Security of Labour concept of Social Security and its evolution अथवा सामाजिक सुरक्षा के तत्वों का वर्णन करें।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक पुस्तक में सामाजिक सुरक्षा की यह परिभाषा दी गई है—

"सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज उचित संगठनों द्वारा समाज के सदस्यों को कुछ आपत्तियों के अवसर पर प्रदान करता है। सुरक्षा एक मानसिक स्थिति है और एक वास्तविक अवस्था भी। सुरक्षा प्राप्त होने का अर्थ यह है कि मनुष्य को यह विश्वास हो कि आवश्यकता होने पर सुरक्षा प्राप्त होगी। सुरक्षा गुण और परिमाण में संतोषजनक भी होनी चाहिए।"

इस परिभाषा के अनुसार सुरक्षा के दो आवश्यक तत्व हैं। एक मानसिक स्थिति अर्थात सुरक्षित होने का अनुभव और दूसरी वास्तविक स्थिति अर्थात आपत्तिकाल में सहायता का पर्याप्त मात्रा प्राप्त होना।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में लिखा है - "मनुष्य के जीवन में दो समय ऐसे होते हैं जब वह समाज की सहायता पर निर्भर रहता है - एक बाल्यावस्था और दूसरा वृद्धावस्था। दोनों के बीच में अनेकों ऐसे भी अवसर होते हैं जब वह अपनी जीविका कमाने में असमर्थ होता है। बच्चों का पालन पोषण प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के द्वारा हो जाता है परन्तु अन्य अवस्थाओं में प्रकृति की व्यवस्था अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली नहीं होती"।

Social Security of labour and its elements.

सामाजिक सुरक्षा तीन प्रधान तत्वों से निर्मित होती है किन्तु विशेष व्यवस्था में इन ~~चीजों~~ तीनों की भिन्न-भिन्न रूप में प्रधानता हो सकती है—

(क) क्षतिपूर्ति (Compensation)- किसी आर्थिक क्षति का भुगतान देना, उदाहरण के लिए कोई मजदूर दुर्घटना में आहत होता, पैर खो बैठता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके कारण उसको या उसके परिवार का आर्थिक नुकसान होता है तो उसको जो सहायता मिलती है वह क्षति-पूर्ति है।

(ख) पुनर्वास - किसी आपत्ति में मजदूर को उस आपत्ति से बचाना, किसी विशेष व्यक्ति को Post से पुनर्स्थापित कर देना पुनर्वास है। किसी बेकार को काम दिलवाना, इलाज करके स्वस्थ कर देना, इन सभी की व्यवस्था है।

(३) प्रतिरोध — सुरक्षा का तीसरा तत्व है, आपत्तियों से बचाव। मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच, टीका लगाना आदि औद्योगिक सुरक्षा की व्यवस्था, दुर्घटना से बचने के उपाय निरोधात्मक श्रेणी का कार्य है।

आदर्श सामाजिक सुरक्षा में तीनों तत्वों का समावेश होना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा का विकास।

यद्यपि सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता समाज के प्रारम्भ काल से थी, परन्तु इसकी कोई समुचित व्यवस्था न थी। कतिपय जातियों के लोग रोगी और बूढ़ों को जंगल में छोड़ देते थे जहाँ जंगली पशु उन्हें खा जाते थे। सभ्य होने के बाद मनुष्य को अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। सामाजिक सुरक्षा एक सभ्य सुसंस्कृत समाज का लक्षण है। इसका विकास क्रम इस प्रकार से था।

(1) संयुक्त परिवार प्रणाली — इसमें मनुष्य आपत्ति-काल में एक दूसरे की सहायता करते थे। बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा आदि संकटों के समय परिवार में आश्रय मिलता था। भारत में इस प्रणाली का बड़ा ऊँचा आदर्श था और उस समय सामाजिक सुरक्षा का यह श्रेष्ठ साधन था परन्तु धीरे-धीरे संयुक्त परिवार का विघटन होना शुरू हुआ और यह संरक्षण कम हो गया।

(2) समाज द्वारा सहायता — सभ्यता के उदय से ही समाज में दान का महत्व बढ़ने लगा, सम्पन्न लोग आपत्ति-ग्रस्त लोगों की सहायता करते थे। अनाथालय, विधवा गृह, अस्पताल, धर्मशालायें, सदाव्रत इत्यादि के द्वारा गरीब लोगों की सहायता और सहायता की प्रथा चल पड़ी। परन्तु यह सहायता ~~की प्रथा चल पड़ी~~ अनेकों दोषों से भरी पड़ी है —

(1) दान लेने वाला व्यक्ति अपने को अत्यंत दीन मानने लगता है। उसकी स्थिति एक भिखारी से अधिक नहीं होती। उसका सम्मान दूसरों की दृष्टि में और अपनी भी दृष्टि में समाप्त हो जाता है।

(2) दूसरी बात यह है कि सहायता देने वाले व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर होती है। कि वह किसे, कितनी और किस प्रकार की सहायता दे, यह उसी की इच्छा पर निर्भर होती है। सहायता लेने वाला व्यक्ति पूर्णतया दान देने वाले पर निर्भर होता है।

(3) यह सहायता प्रजातंत्र तथा समाजवाद के आदर्शों के विपरीत है।

Scanned with CamScanner

(२) इस प्रकार की सहायता का कोई नियम नहीं है यह भी आवश्यक नहीं है कि आय निर्धारण व्यक्ति मिल ही जायेगी।

(३) राज्य द्वारा सहायता (Public Assistance) सार्वजनिक सहायता का प्रचार हुआ क्योंकि भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था है कि गरीब, अनाथ, अपाहिज लोगों को राज्य द्वारा सहायता दी जाये। प्राचीन धर्मशास्त्रों में राजा के लिए इस प्रकार के आदेश थे कि असमर्थ व्यक्तियों को सहायता दी जाये।

(४) सामाजिक बीमा — सामाजिक सुरक्षा का यह और अधिक विकसित रूप है। बीमा का अर्थ यह है कि बीमा कराया हुआ व्यक्ति अपनी कमाई से कुछ थोड़ा प्रीमियम के रूप में देता है, दुर्घटना बीमारी आदि होने पर उसे एक निश्चित राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त उसकी इलाज की व्यवस्था भी हो सकती है। बीमा भी दो प्रकार का हो सकता है —

(क) व्यापारिक बीमा एवं सामाजिक बीमा। बीमा एक व्यापार के रूप में भी कार्य में लाया जा सकता है तथा इसके लाभ को व्यापार का लाभ कहा जाता है। इस प्रकार के बीमा व्यापार किसी की इच्छा पर निर्भर है परन्तु यह अनिवार्य नहीं होता। व्यापारिक बीमा एवं सामाजिक बीमा के कार्य प्रणाली में कोई मौलिक भेद नहीं होता है।

~~Concept of Social Security: (सामाजिक सुरक्षा की धारणा): सामाजिक सुरक्षा धारणा से अर्थ सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं इस सम्बन्ध में~~

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय
(Social Security measures in India):

भारत में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियमों को पारित करने के रूप में किए गए हैं। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम लागू हैं:

(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 — भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह पहला प्रयत्न था। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पारित कर लागू किया गया। यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है तो उसको या उसके आश्रितों को इस नियम

4\. अब यह अधिनियम [illegible] पर लागू नहीं होता है [illegible]

जो अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे श्रमिक जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कोई आश्रित लाभ या अयोग्यता लाभ पाने के अधिकारी हैं। उन्हें भी क्षतिपूर्ति कर्मचारी अधिनियम 1974 के अन्तर्गत कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 1984 में इस अधिनियम में संख्या संशोधन किया गया है जिसके अनुसार स्थायी अयोग्यता होने पर न्यूनतम 90000 रुपये व अधिकतम 4 लाख 56 हजार रुपये मिलेंगे। यदि ड्यूटी पर तैनात होते हुए मृत्यु हो जाती है तो क्षतिपूर्ति की न्यूनतम दर 80,000 रुपये व अधिकतम 5 लाख 48 हजार रुपये होगी। इसमें क्षतिपूर्ति की दरें कर्मचारी की उम्र के आधार पर निर्धारित की गयी हैं।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 — सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम उन सभी गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है जिनमें शक्ति के साथ 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं या बिना शक्ति के 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। यह अधिनियम सिनेमा, दुकानों, होटलों, मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान आदि पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को लाभ मिलता है जिनका वेतन 7,500 रुपये मासिक से अधिक नहीं है।

इस अधिनियम के अधीन कर्मचारियों को यह लाभ मिलते हैं: (1) बीमारी लाभ — यदि श्रमिक 2 दिन से अधिक बीमार पड़ता है तो 2 दिन के बाद 91 दिनों तक उपयुक्त औसत मासिक मजदूरी के लगभग आधे के बराबर भत्ता दिया जाता है।

(ii) प्रसूती लाभ — महिला श्रमिकों को प्रसूती भत्ता 12 सप्ताह तक दिया जाता है जो प्रसव के लगभग 6 सप्ताह पूर्व व 6 सप्ताह बाद हो सकता है।

(iii) अयोग्यता लाभ — श्रमिक के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर उसकी औसत मजदूरी का 70 प्रतिशत भाग पेंशन के रूप में जीवन-पर्यन्त मिलने का प्रावधान है।

(iv) आश्रित लाभ — यदि कारखाने में कार्य करते समय श्रमिक की किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों

Special Problems of Sweat Labour, Child Labour and Female Labour

जाता इस प्रकार देखभाल है, श्रमिक की विधवा को प्रत्येक मृतक श्रमिक के आधे औसत वेतन का 2/5 भाग, प्रत्येक पुत्र को 15 वर्ष की आयु तक आधे औसत वेतन का 2/5 भाग प्रत्येक पुत्री को 15 वर्ष की आयु तक या विवाह तक आधे औसत वेतन का 2/5.

(V) चिकित्सा सुविधा – प्रत्येक श्रमिक व उसके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है।

(3) कोयला खान श्रमिक भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1947 – यह योजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत की कोयला खानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कोयला खानों के नियमित श्रमिक आते हैं जो पर कार्य करने वाले श्रमिक आते हैं जिन्होंने तीन महीनों में 60 दिनों तक खान के भीतर हिस्से में या 48 दिन तक खान के भीतरी हिस्से में कार्य किया हो।

(4) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 – भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम सबसे पहले बम्बई राज्य के द्वारा 1929 में बनाया गया बाद 1930 में मध्यप्रदेश में 1934 में मद्रास में, 1937 दिल्ली में, 1938 में उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल 1929 में पंजाब में 1934 में असम में 1953 में, बिहार में 1945 में, महाराष्ट्र में 1948 में एवं राजस्थान व उड़ीसा में 1953 में बनाए गए। इस अधिनियम को 1963 से खानों पर भी लागू कर दिया गया है।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 – यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों। इस प्रकार के कारखानों के सभी श्रमिक एवं कर्मचारी इस भविष्य निधि के सदस्य होते हैं जिनको कुल मिलाकर 6,5000 रुपये से अधिक पारिश्रमिक नहीं वेतन मिलता है। इसके श्रमिक अपने वेतन का 12 प्रतिशत भाग जमा कराते हैं और मिल मालिकों द्वारा उतनी ही रकम जमा करायी जाती है। इस निधि का उद्देश्य अवकाश प्राप्त करने के बाद वृद्धावस्था में श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए धन की व्यवस्था करना है।

(6) मृत्यु सहायता कोष 1971 – यदि किसी कर्मचारी की जिसका मासिक वेतन 1,000 रुपये से अधिक नहीं है की

Scanned with CamScanner

मृत्यु हो जाती है तो इस कोष से उसके उत्तराधिकारी को सहायता दी जाती है। इस सहायता को मृत्यु सहायता कहते हैं।

(7) ग्रेच्युइटी (Gratuity) भुगतान संशोधित अधिनियम 1972 – इसके अनुसार 3,500 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी व श्रमिक चाहे वे किसी भी बागान, खान, कारखाने, तेल क्षेत्र, बन्दरगाह, अन्य औद्योगिक इकाइयों आदि में कार्य करते हों लेकिन वहाँ 10 या इससे अधिक कर्मचारी या श्रमिक होने आवश्यक कार्य करते हों, अवकाश ग्रहण करने या ~~मृत्यु~~ मृत्यु या पद त्यागने, अपंग पर ग्रेच्युटी पाने के अधिकारी हैं।

~~(8) रेलवे कर्मचारी बीमा योजना – यह योजना 1 अगस्त 1976 से उन कर्मचारियों व श्रमिकों पर लागू किया जो 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं कोयला खान भविष्य निधि योजना' के अन्तर्गत आते हैं। इस योजना में कर्मचारी की मृत्यु पर मृतक के परिवार~~

(8) रेलवे कर्मचारी बीमा योजना – 1976 से रेलवे कर्मचारियों पर बीमा योजना लागू कर दी गयी है जिसके अनुसार कर्मचारियों का भविष्य निधि में जमा राशि से इस योजना को जोड़ दिया गया है। यदि किसी रेलवे कर्मचारी की पाँच वर्ष की सेवा काल के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत कुछ रकम दे दी जाती है।

(9) विक्रय ~~संवर्धन~~ संवर्द्धक सेवा शर्तें अधिनियम 1976 – यह अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो विक्रय संवर्द्धन के कार्यों में लगे हैं। वर्तमान में यह अधिनियम केवल औषधि उद्योग पर लागू होता है।

(10) सामाजिक सुरक्षा ~~सर्टि.~~ सर्टिफिकेट (Certificate) – जून 1982 से 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा Certificate की योजना लागू की गई।

(11) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा विशेष सुरक्षा योजना – यह योजना 15 अगस्त 1985 को लागू की गई है। इस योजना में भूमिहीन मजदूरों, छोटे व सीमान्त किसानों, परम्परागत कारीगरों के हित धारकों, सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मारे जाने वाले व्यक्ति के आश्रित जनों को 3,000 रु० देने की व्यवस्था है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आय 5,000 रु० वार्षिक से अधिक नहीं है।

(12) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 – केन्द्रीय सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना लागू की है जो परिवार पेंशन योजना 1971 व भविष्य निधि योजना

यह योजना 16 नवम्बर 1995 से लागू की गई और जिसके अनुसार 33 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रत्येक व्यक्ति वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन पाने का हकदार होगा परन्तु यदि 40 वर्ष की सेवा की जाती है तो ऐसा व्यक्ति 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत के बराबर पेंशन पाने का हकदार होगा। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के मृत्यु हो जाने पर उसे पारिवारिक पेंशन भी दी जाती है।

(13) राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना – 1 अप्रैल 2005 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य 2005 के बाद फैक्ट्री अथवा प्रतिष्ठान बंद होने छँटनी होने अथवा अपंग होने वाले श्रमिकों को लाभ पहुँचाना है।

(14) निष्कर्ष – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सामाजिक सुरक्षा के लिए सराहनीय कदम उठाये हैं। वर्तमान में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू हैं। फिर भी भारत में पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है यथा:

(i) असंगठित श्रमिकों को लाभ न मिलना
(ii) श्रम योजनाओं व अधिनियमों में समन्वय का अभाव
(iii) उचित प्रशासनिक मशीनरी का अभाव
(iv) बेरोजगारी के बीमे का अभाव
(v) वृद्धावस्था के लिए उचित सुरक्षा का अभाव। इत्यादि।

Scanned with CamScanner